जेल से पीएम तक का सफर, चार साल में तारिक रहमान ने बीएनपी को दिलाई सत्ता

नई दिल्ली, 13 फरवरी. लंदन में 17 साल के स्व-निर्वासन से लौटने के लगभग दो महीने बाद सभी उम्मीदों को धता बताते हुए तारिक रहमान ने बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एक निर्णायक जीत दिलायी है. इस शानदार जीत में बीएनपी ने दो-तिहाई से अधिक सीटों पर कब्जा किया और अवामी लीग पर लगे विवादास्पद प्रतिबंध के बाद बने शून्य को भर दिया. इस जीत ने शासन का कोई पिछला अनुभव न रखने वाले व्यक्ति को 17 करोड़ लोगों के राष्ट्र के प्रमुख के पद पर पहुंचा दिया है. विरासत की राजनीति के अभ्यस्त इस देश में, श्री रहमान का उत्थान अपरिहार्य और असंभव दोनों ही महसूस हुआ. वह जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं, वही पूर्व सैन्य अधिकारी जिन्होंने 1971 में बंगलादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और बाद में पहले एक शासक और फिर निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शासन किया.

उनकी माँ खालिदा जिया दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. दशकों तक, बंगलादेश का सार्वजनिक जीवन बेगमों की जंग के इर्द-गिर्द घूमता रहा, एक तरफ बेगम जिया और दूसरी तरफ बंगलादेश के संस्थापक शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियर कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री महिपाल मालवी, श्रीमती संगीता मालवी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10240530)	प्लॉट संख्या 34-35 डी पैकी, वार्ड संख्या 42, अमृत पार्क कॉलोनी, बलगढ़, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश, भारत, 455001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 375.00, 410.00, 375.00	रुपये 1068080/- (रु. दस लाख अड़सठ हजार अस्सी मात्र	08-10-2025	11/02/2026
श्री विजेंद्र सिंधी, श्रीमती ललिता बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10263715)	मकान संख्या 487-ईडब्ल्यूएस, विकास नगर, देवास, मध्य प्रदेश, भारत, 455001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र क्षेत्रफल- 360.00, 720.00, 720.00 बी	रुपये 1343282 (रु. तेरह लाख तिरतालीस हजार दो सौ बयासी मात्र)	08-10-2025	11/02/2026
श्री अभिषेक खविया, अभिषेक खविया ऑर्ग अक्षीस वेकर्स एंड फास्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड, श्री अक्षय खविया, श्री मनीष खविया श्रीमती मंजू खविया (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10744349)	प्लॉट संख्या 51, अथर्व विहार कॉलोनी, नानखेड़ा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - (39219) 456010 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल क्षेत्रफल- 968.80, 2093.50, 1674.80	रुपये 7799110/- (रु. सतहत्तर लाख निन्यानवे हजार एक सौ दस मात्र)	07-10-2025	11/02/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश/ पहला माला, 29 निकास चौराहा, अंकपथ मार्क, नई सड़क, उज्जैन (म.प्र.)-456001/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.
स्थान- इन्दौर, दिनांक- 14-2-2026 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय जनपद पंचायत खण्डवा, जिला खण्डवा

Phone No.-0733-2222596 E Mail-jpkhandwa@mp.nic.in

पत्र क्र. / लेखा / ज. पं. / 26/559 खण्डवा, दिनांक- 12/02/2026

// पुराने जनपद भवन को डिस्मेंटल हेतु विज्ञप्ति //

जनपद पंचायत नवीन भवन निर्माण हेतु चयनित स्थल पर जनपद पंचायत खण्डवा का पुराना भवन स्थित है, जिसे डिस्मेंटल किया जाना है। उक्त भवन को डिस्मेंटल किये जाने हेतु नीलामी प्रक्रिया निर्धारित शर्तों के अनुरूप दिनांक 26.02.2026 को दोपहर 02 बजे स्थान - जनपद सभागृह खण्डवा में की जावेगी।

इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन दिनांक 26.02.2026 को प्रातः 11 बजे से 01 बजे तक अमानत राशि एवं नीलामी शर्तो के अनुरूप वांछित दस्तावेज सहित जमा कर रसीद प्राप्त करेगें। निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। नीलामी स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खण्डवा का रहेगा। नीलामी संबंधी शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

मीना सोलंकी
अध्यक्ष — मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत खण्डवा — जनपद पंचायत खण्डवा

सेवा तीर्थ : जनसेवा का नया अध्याय : अमित शाह

नई दिल्ली, 13 फरवरी. प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर 'सेवा तीर्थ' का लोकार्पण एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक क्षण के रूप में सामने आया है. इसे केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना को समर्पित एक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज सहित, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय राशि का भुगतान सीजीसीएल को करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं:

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNMESHA000081289 (पुराना) 80400005846682 (नया) (शामगढ़ शाखा) श्री कारू लाल चमार (उधारकर्ता) श्रीमती जमना बाई चमार, श्री सत्यनारायण लिमजा चमार (सह-उधारकर्ता)	05.02.2026 रु. 21,75,136/- (04.02.2026 तक)	मकान संख्या 12, क्षेत्रफल 4880 वर्ग फुट (453.36 वर्ग मीटर), वार्ड संख्या 09, पीएच संख्या 12, ग्राम सेमरोल (खडावाड़ा), ग्राम पंचायत सेमरोल, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश - 458880 की वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री करूलाल चमार की भूमि, पश्चिम में साझा सड़क, उत्तर में श्री लेखराज (पुत्र श्री बालाशंकर) की भूमि, दक्षिण में श्री रमेशचंद्र जी का मकान।
2.	(ऋण खाता संख्या: LNMEAST000124327 (पुराना) 80900005547540 (नया) (आष्टा शाखा) (ऋण खाता संख्या: LNMESAJ000100315 (पुराना) 80300005919991 (नया) (अगर मालवा शाखा) श्री विजय राज (ऋणकर्ता), श्रीमती ज्योति सिंह, श्री कमल सिंह सेंधव, श्रीमती गंगा बाई, श्री बिजय राज (सह-ऋणकर्ता)	05.02.2026 रु. 25,00,510/- (04.02.2026 तक)	संपत्ति संख्या 1: सर्वे 670 पैकी (कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग फुट, यानी 148.69 वर्ग मीटर) का वह भाग, भूमि और भवन (काली सिंध पुल से विद्युत वृत्त तक, आंतरिक सड़क पर), पीएच संख्या 55, ग्राम सांवर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455118। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में रास्ता, पश्चिम में बंशीलाल की भूमि, उत्तर में विक्रेता की भूमि, दक्षिण में विक्रेता का प्लॉट। संपत्ति संख्या 2: वार्ड संख्या 9 में स्थित आवासीय संपत्ति, भूमि और भवन, कुल क्षेत्रफल 1650 वर्ग फुट, यानी 153.34 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्र - आवासीय क्षेत्र, भूतल पर निर्मित आर.सी.सी. 800 वर्ग फुट। (74.34 वर्ग मीटर) और ग्राउंड फ्लोर कच्चा क्षेत्र 850 वर्ग फुट (78.99 वर्ग मीटर) पी.एच. नंबर 18, ग्राम आमलताज, तहसील हटपीपलिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455227। सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर की ओर सड़क, दक्षिण की ओर राय सिंह जी का घर, पूर्व की ओर गली, पश्चिम की ओर स्वयं का पुराना घर।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थान: शामगढ़, आष्टा, आगर मालवा, म.प्र.
दिनांक: 14.02.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

बिरला ने सरोजिनी नायडू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 13 फरवरी. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. लोकसभा सचिवालय ने बताया कि श्री बिरला के अलावा राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर श्रीमती नायडू को श्रद्धांजलि अर्पित की. श्रीमती नायडू, जिन्हें भारत कोकिला (नाइटिंगेल ऑफ इंडिया) के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली वक्ता, सुविख्यात कवयित्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं. उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और वह महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण की प्रबल समर्थक थीं. उन्होंने दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज फॉर विमेन की स्थापना भी की. स्वतंत्रता के पश्चात श्रीमती नायडू ने संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उनका निधन 2 मार्च 1949 को हुआ. भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 16 दिसंबर 1959 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती नायडू के चित्र का अनावरण किया था.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032 टी.एन.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। (नियम 8 एवं 9) आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं और जिनका प्रतीकात्मक कब्जा चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें आगे चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री "जैसी है, जहां है", "जैसी है, जो है" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://bankauctions.in/ के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

ऋणी, सह-ऋणी, बंधककर्ता का खाता संख्या और नाम	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति)	आरक्षित मूल्य/ईएमडी /बोली वृद्धि राशि
ऋण खाता संख्या TL01IND0000059251 1. मेसर्स कंप्यूटर वर्ल्ड, (ऋणकर्ता) एलजी 38, अपोलो स्क्वायर, जंजीरवाला स्क्वायर, रेस कोर्स रोड, इंदौर-452001, 2. श्री मनप्रीत सिंह सलूजा, (सह-ऋणकर्ता) 3. श्रीमती अमित कौर सलूजा, (सह-ऋणकर्ता) दोनों का पता: फ्लैट संख्या 203, मोहिनी रीजेंसी, नंबर 26, विष्णुपुरी मेन, इंदौर - 452 001	रु. 1,69,15,251/- 15.10.2025 तक	इंदौर के डॉ. आर.एस. भंडारी मार्ग स्थित मकान संख्या 7/2 पर बने अपोलो स्क्वायर नामक भवन में स्थित दुकान भवन का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 499 वर्ग फुट (46.37 वर्ग मीटर) है, उत्तर में आमिर मुनीशी की दुकान संख्या LG 39, दक्षिण में दुकान संख्या LG 37, पूर्व में साझा मार्ग और पश्चिम में पार्किंग क्षेत्र से घिरा हुआ है।	₹ 96,39,000/- ₹ 9,63,900/- ₹ 1,00,000/-

ई-नीलामी की तिथि और समय: 04.03.2026 - सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक (प्रत्येक बार 3 मिनट का असीमित विस्तार)। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 03.03.2026। संपत्ति निरीक्षण की तिथि: नियुक्ति के अनुसार।

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com देखें। ई-नीलामी संबंधी सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के विवरण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं, (संपर्क व्यक्ति: श्री नितेश पवार, फोन नंबर: 8142000725, ईमेल: nithesh@bankauctions.in)।
2. नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें:- https://bankauctions.in/ और https://cholamandalam.com/news/auction-notices ई-नीलामी में भाग लेने के लिए या श्री आशीष कुमार पांडा - फोन: 98195 38003/श्री अमित शर्मा - फोन: 7566766000/श्री रवि संतोस - फोन: 9826682254 से संपर्क करें।

यह नियम 8(6) नियम 8 और 9 तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत एक वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना भी है।

दिनांक: 14.02.2026 — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: चेन्नई — **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- मकान नं. 176, स्कीम नं. 97, स्लाइस-4, नर्मदा स्क्वायर के पास, गोपुर स्क्वायर के बाद, इन्दौर-452001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री कमलेश कुमार सिंह श्रीमती प्रेमलता सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10016048)	17-6-2022 रु. 1018548/- (रु. दस लाख अट्ठारह हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र)	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका क्षेत्रफल है- प्लॉट संख्या J8/1, 41.82 वर्ग मीटर, रॉयल टाउन कॉलोनी, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001	27-2-2024 कुल बकाया राशि 10-2-2026 को रु. 1071745.31/- (रु. दस लाख इकहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस और पैसा इकतीस मात्र)	रु. 1069000/- (रु. दस लाख उनहत्तर हजार मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)			बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 106900/- (रु. एक लाख छह हजार नौ सौ मात्र)
प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक 27/2/2026 11.00-14.00 बजे		**ईएमडी की अंतिम दिनांक 2/3/2026 के 5.00 बजे तक**		**ई-नीलामी दिनांक/समय 5/3/2026 11.00 से 13.00 बजे**

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com >ेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.
स्थान- इन्दौर, दिनांक- 14/2/2026 — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

आज का इतिहास

1537- गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की पुर्तगालियों से बचकर भागने के दौरान डूबने से मौत हुई.
1556- पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर में मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल सम्राट बनाया गया.
1876- अलैक्जैंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया.
1939- बम्बई के तत्कालीन प्रशासन ने शहर में शराबबंदी का प्रस्ताव रखा.
1952- सुषमा स्वराज का जन्म. वह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रहीं.

नील नदी में नाव पलटने से 21 लोगों की मौत

खार्तूम. उत्तरी सूडान के नील नदी प्रांत में यात्री नौका के डूबने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गयी, जबकि आठ लोगों को जिन्दा बचा लिया गया है. नील नदी प्रांत की सरकार ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, बुधवार को नाव डूबने के बाद नदी से 21 शव बरामद किये गये हैं. लापता लोगों की तलाश जारी है और नागरिक रक्षा दल बचाव की कोशिशों में जुटे हैं.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रश्मि बाकलीवाल पति श्री दिलीप बाकलीवाल के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति भूखण्ड क्रमांक 570/ए महालक्ष्मी नगर ग्राम पिपलियाकुमार तहसील व जिला इंदौर पर स्थित है। मुलतः सदर संपत्ति श्री मोहनलाल पिता श्री राजमल जी गोयल के द्वारा क्रय कर प्राप्त की गई थी। तत्पश्चात उनका एवं उनके पुत्र श्री सुनील गोयल पिता श्री मोहनलाल का स्वर्गवास होकर उक्त संपत्ति उनके वारिस क्रमश 1. श्रीमती अलका अग्रवाल पिता स्व. मोहनलाल गोयल पति श्री मोहनलाल अग्रवाल, 2. श्रीमती नीरजा गर्ग पिता स्व. मोहनलाल गोयल पति श्री गिरीश कुमार, 3. श्रीमती प्रीती गोयल पति स्व. श्री सुनील गोयल, 4. श्री रोहन गोयल पिता स्व. श्री सुनील गोयल, 5. विधि गोयल पिता स्व. श्री सुनिल गोयल, 6. श्री मनोज गोयल पिता स्व. मोहनलाल गोयल को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वारिस क्रमांक 1 से 5 के द्वारा सदर संपत्ति में से अपने हक श्री मनोज गोयल पिता स्व. मोहनलाल गोयल के पक्ष में त्याग कर दिया गया। तत्पश्चात श्री मनोज गोयल पिता स्व. मोहनलाल गोयल ने उक्त संपत्ति उपरोक्त स्वामियों को विक्रय कर दी गई। सदर संपत्ति को उपरोक्त स्वामियों द्वारा मेरे क्रेता पक्षकार को विक्रय करने हेतु अनुबंध किया होकर क्रेता द्वारा सदर संपत्ति को मेरी पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, अतः सदर सम्पत्ति एवं वारिस बाबद किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभाग आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई उजर हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस की अवधि में मय लेखी दस्तावेजो प्रमाण हमें सूचित करें अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।

आर. सी. बडजात्या, हाईकोर्ट एडवोकेट
फ्लेट न 1 स्टेट बैंक अभिलाषा सोसायटी, 23/2 मनोरमागंज, इंदौर(म.प्र.)
मो. न. 9425052001

कार्यालय नगर परिषद धामनोद जिला धार (म.प्र.)

वा. क्र. 05 संजय नगर, महेश्वर रोड, वन विभाग के पिछे, धामनोद, 454552
Phone No.-07291222035 : cmodhamnod@mpurban.gov.in
क्रमांक / 455 / 2026 — धामनोद, दिनांक 13/02/2026

विज्ञप्ति

**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक माया मंडलोई मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद धामनोद तहसील धरमपुरी जिला धार द्वारा भूमि ग्राम धामनोद में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 275 / 171 रकबा 6.690 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 1.000 हेक्टेयर की भूमि आवंटन किए जाने हेतु प्रकरण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रा) धरमपुरी से जांच प्रतिवेदन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त ह